

**एनपीओपी के अंतर्गत प्रमाणीकरण निकाय के
निलंबन/समापन के दौरान संचालकों के स्थानांतरण हेतु प्रक्रिया**

- 1) किसी भी सीबी के निलंबन/समापन हेतु एनएबी की एनएबी/उप समिति के निर्णय के पश्चात , यह सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एपीडा वेबसाइट एवं ट्रेसनेट होम पेज पर होस्ट की जाएगी।
- 2) निलंबित सीबी एकाउंट ट्रेसनेट पर यथाशीघ्र बंद किया जाएगा।
- 3) संबंधित सीबी अपने संचालकों को संस्वीकृति एवं एनओसी निर्गमन के संबंध में शीघ्रतापूर्वक सूचित करेगा।
- 4) सीबी एपीडा को सूचना का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- 5) सीबी को संचालकों को अन्य प्रमाणीकरण निकायों में स्थानांतरित करने के लिए एनओसी जारी करने के लिए सीमित पहुंच प्रदान की जाएगी।
- 6) निलंबित सीबी के संचालकों को 30 दिनों के भीतर दूसरे सीबी में स्थानांतरण के लिए ट्रेसनेट पर अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।
- 7) निलंबित सीबी संचालक से एनओसी अनुरोध/आवेदन प्राप्त करेगा और आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर परियोजनाओं को ट्रेसनेट जनरेटेड एनओसी के माध्यम से संचालक की पसंद के नए सीबी में स्थानांतरित कर देगा।
- 8) नया सीबी फिर सत्यापन लेखापरीक्षा के बाद संचालक को पंजीकृत करेगा।
- 9) यदि कोई नया सीबी अधिक संख्या में संचालकों को स्वीकार करता है और पूर्व निर्धारित कार्य के कारण छह सप्ताह की निर्धारित अवधि में सत्यापन लेखापरीक्षा करने में असमर्थ है, तो ऐसे मामलों में, सीबी पहले संचालक को पंजीकृत कर सकता है और पंजीकरण की तारीख से दस सप्ताह के भीतर सत्यापन लेखापरीक्षा कर सकता है। दस सप्ताह की यह समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
- 10) निरीक्षण में कोई भी गैर-अनुरूपता पाए जाने पर , सीबी नई परियोजना को जारी रखने/निलंबित/समाप्त करने का निर्णय ले सकता है।
- 11) हालाँकि यदि सत्यापन लेखापरीक्षा नहीं किया गया है , तो कोई लेनदेन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- 12) विभिन्न प्रकार के संचालकों /क्षेत्रों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

उत्पादक समूह के मामले में

- नया प्रमाणीकरण निकाय आईसीएस स्थान और जैविक खेती करने वाले किसानों की विद्यमानता का भौतिक सत्यापन करेगा।
- सीबी आईसीएस कार्यालय और लेखापरिक्षित किसानों की फोटोग्राफ लेगा और साक्ष्य के रूप में भू-स्थान भी दर्ज करेगा।
- नामित निरीक्षक स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेगा और फोटोग्राफ के साथ विवरण लेगा और उच्च जोखिम वाली फसलों के मामले में परीक्षण के लिए नमूना लेगा।

प्रोसेसर के मामले में

- नामित निरीक्षक इकाई के सभी विवरणों का सत्यापन करेगा और दौरे के दौरान फोटोग्राफ लेगा।
- नया प्रमाणीकरण निकाय ट्रेसीनेट पर कोई भी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले प्रसंस्करण इकाई/भंडारण में प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए तैयार स्टॉक का सत्यापन करेगा।

एक व्यापारी के मामले में

- एनओसी की स्वीकृति के बाद, प्रमाणीकरण निकाय किसी भी प्रमाणपत्र को जारी करने से पहले स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेगा।

शिपमेंट के लिए तैयार निर्यात खेप के मामले में

- नया प्रमाणीकरण निकाय संचालक की एनओसी स्वीकार करने के बाद अनंतिम लेनदेन प्रमाणपत्र (पीटीसी) जारी करने से पहले निर्यात के लिए तैयार खेप का सत्यापन करेगा।

यह भी अनिवार्य है कि प्रमाणीकरण निकाय को एनओसी के माध्यम से पंजीकृत निलंबित/समाप्त प्रमाणीकरण निकायों के संचालकों के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज बनाए रखना अपेक्षित है और यह सत्यापन के लिए जब भी आवश्यक हो उपलब्ध होना चाहिए।

महाप्रबंधक
जैविक